आठ मोटरसाइकिल के साथ चोरी के तीन आरोपी गिरफ्तार

चंदौली, 5 मई (जनसत्ता)।

जनपद में धानापुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अटौली गांव के एक आम के बगीचे से बेचने के लिए रखी गई चोरी की विभिन्न कंपनियों की आठ मोटरसाइकिल को बरामद करते हुए बाइक चोरी करने वाले तीन शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें दो नाबालिग हैं।

अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम अटौली में उमा यादव के भट्ठे के पश्चिम सड़क के किनारे आम के बगीचे में चोरी की मोटरसाइकिलें बिक्री हेतु बिहार ले जाने के लिए तैयारी चल रही है। प्रभारी निरीक्षक धानापुर अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए और तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर वहां से चोरी आठ बाइक बरामद कर लिए। पूछताछ में अभियुक्तों ने पुलिस को बताया कि हम । गिरफ्तार अभियुक्तों में गोलू उर्फ अनुपम पाण्डेय अटौली थाना धानापुर का निवासी हैं, जबकि दो अभियुक्त बाल अपचारी है।

खाद्य पदार्थो का ठेला लगाने वाले युवक की निर्मम हत्या

बरेली, 5 मई (जनसत्ता): शहर के सैटेलाइट बस अड्डे पर ठेला लगाकर खाद्य पदार्थ बेचने वाले एक युवक की मामूली विवाद में हत्या कर दी गई। क्षेत्राधिकारी तृतीय अनीता चौहान ने बताया कि मृतक के शव की शिनाख्त कराने के बाद इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। शक के दायरे में आए आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अरविंद नामक एक शख्स थाना बारादरी क्षेत्र में सैटेलाइट बस अड्डे पर ठेला लगाकर चाऊमीन आदि खाद्य पदार्थ बेचता था। पड़ोसियों ने रविवार की सुबह उन का दरवाजा खुला होने पर अंदर जाकर देखा तो अरविंद का खून से लथपथ शव बिस्तर पर पड़ा था।

शाहजहांपुर में सड़क हादसे के बाद दो पक्षों में विवाद का मामला

दंगा भड़काने की कोशिश में 170 के खिलाफ मामला दर्ज

शाहजहांपुर, 5 मई (भाषा)।

जिले में एक सड़क दुर्घटना के बाद हुए विवाद के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने के सिलसिले में दंगा भड़काने की कोशिश करने और साजिश रचने समेत कई आरोपों के तहत गो रक्षक संघ के प्रदेश महासचिव समेत 17 लोगों के खिलाफ नामजद तथा 170 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

सीओ नगर सौम्या पांडे ने बताया कि बुधवार की रात रामचंद्र मिशन थाना क्षेत्र में सुल्तान मोहम्मद नामक व्यक्ति की एक मोटरसाइकिल से दुर्घटना हो गई थी। इसे लेकर दो पक्षों के बीच हुए झगड़े के मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान राष्ट्रीय गो रक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री राजेश अवस्थी और बड़ी संख्या में उनके साथियों ने घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हुए हरदोई बाईपास मार्ग पर लखनऊ–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए अपशब्द भी कहे। अधिकारियों के समझाने–बुझाने पर करीब दो घंटे बाद प्रदर्शनकारी सड़क से हटे। सीओ ने बताया कि घटना की सीसीटीवी फुटेज देखकर प्रदर्शनकारियों की पहचान की गई है। घटनास्थल के आसपास के अन्य फुटेज भी देखकर प्रदर्शनकारियों की पहचान की जा रही है। उन्होंने बताया कि घटना के बाद से आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है।

सपा के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं पर प्राथमिकी

मैनपुरी, 5 मई (भाषा)। महाराणा प्रताप की मूर्ति को कथित रूप से तोड़ने के आरोप में सपा के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए यह प्राथमिकी दर्ज की है। यह घटना सपा उम्मीदवार डिंपल यादव के समर्थन में शनिवार को पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो के बाद हुई। कोतवाली थाने के एसएचओ फतेह बहादुर सिंह भदौरिया ने बताया कि पुलिस ने सपा के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ जिस प्रकार का अपमानजनक और अवमानना पूर्ण व्यवहार सपा के नेताओं का था, वह अत्यंत निंदनीय है।

हापुड़ में 509 बुलेट के साइलेंसर पर चलाया रोड रोलर

हापुड़, 5 मई (जनसत्ता)।

आपरेशन पटाखा के तहत बुलेट पर माडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखे फोड़ने वाले चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अभियान के तहत पुलिस ने 509 बुलेट चालकों को यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया। 44 बुलेट सीज की गई, मोडिफाइड साइलेंसर लगाने वाले 509 बुलेट से साइलेंसर निकाले, जिन पर रोड रोलर चलवा गया।

एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया शहर व देहात क्षेत्र में मोडिफाइड व रेट्रो साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध 2024 में अब तक पुलिस ने 750 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की। इनमें से 44 बुलेट बाइक सीज की गई। नष्ट किए गए साइलेंसर की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपए है।

इंडियन बैंक Indian Bank | इलाहाबाद ALLAHABAD | अंचल कार्यालयः प्रशान्त टॉवर, ट्रान्सपोर्ट नगर, गोरखपुर फोनः 0551-2202564, 2201724 फैक्स नं. 0551-2200008

बिक्री सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

सरफेसी एक्ट 2002 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 सपठित प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 8 (6) के तहत ई–नीलामी विक्री सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) यह नोटिस जनसामान्य और विशेष रूप से उधारकर्ता व जमानतकर्ता को दिया जाता है कि निम्न अचल सम्पत्ति सुरक्षित लेनदार की बन्धक/भारयुक्त रखी गई है जिसका इंडियन बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सांकेतिक कब्जा ले लिया गया है तथा निम्न सम्पत्ति को "जो है जैसा है तथा जहां है" के आधार पर ऋण बकाया की वसूली हेतु बिक्री किया जायेगा।

शाखा : अलीनगर, गोरखपुर

क्रम सं.1. ऋणी / जमानतदार / बन्धककर्ता का विवरण:
ऋणी/बन्धककर्ता– अंजली सिंह पुत्री रविन्द्र सिंह, पता– खोराबार उर्फ सूबाबाजार कूड़ाघाट, गोरखपुर 2. सुनील कुमार यादव पुत्र बजरंगी यादव, पता– निकट काका मैरिज हाउस, शास्त्री नगर, वार्ड नं.19, महाराजगंज।

ई–विक्रय के माध्यम से विक्रय हेतु सम्पत्ति का विशिष्ट विवरण निम्न हैं:–

बन्धक सम्पत्ति का विस्तृत विवरण: आवासीय दो मंजिला भवन सहित अचल सम्पत्ति के सभी भाग व खण्ड– **सम्पत्ति श्रीमती अंजली सिंह एवं श्री सुनील कुमार यादव के नाम**, क्षेत्रफल– 117.379 वर्गमीटर (1263 वर्गफीट) स्थित आराजी नं. 18 मि मौजा– जंगल सालिकग्राम, तप्पा– खुट्हन, परगना– हवेली, तहसील– सदर, जिला– गोरखपुर, सेल डीड सं. 3447 दिनांक 02.06.2017, बही सं. 1, जिल्द सं. 13033, पृष्ठ सं. 359 से 396, उप–रजिस्ट्रार प्रथम गोरखपुर (उ.प्र.) में पंजीकृत। **चौहद्दी (डीड के अनुसार)– उत्तर –** रास्ता 15 फीट चौड़ा, **दक्षिण–** द टाइम्स पब्लिक स्कूल/सलम शंकर मिश्रा, **पूरब–** विक्रेता की भूमि, **पश्चिम–** मंजू देवी की भूमि।

डिमाण्ड नोटिस दिनांक	डिमाण्ड धनराशि	कब्जे की तिथि	पूर्व अवभार	ई–नीलामी का दिनांक व समय
08.05.2023	रु. 34,79,079/–	01.08.2023	बैंक की जानकारी के अनुसार, कोई नहीं	22.05.2024, प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक
आरक्षित मूल्य	**ई.एम.डी.**	**बोली बढ़ाने की धनराशि**	**सम्पत्ति की आई.डी.**	
रु. 45,20,000/–	रु. 4,60,000/–	रु. 10,000/–	IDIBGKPALN4004	

शाखा : भटहट, गोरखपुर

क्रम सं.2. ऋणी / जमानतदार / बन्धककर्ता का विवरण:
1. **ऋणी –** मेसर्स राही ब्रदर मार्डन राइस मिल (प्रोपराइटर– श्री सुभाष चन्द), पता– ग्राम– भीटी तिवारी, पोस्ट– थवईपार, गोरखपुर। 2. **ऋणी / बन्धककर्ता –** श्री सुभाष चन्द (प्रोपराइटर– मेसर्स राही ब्रदर मार्डन राइस मिल), पता– ग्राम– मुजरी, पोस्ट– पनियरा, महराजगंज। 3. **जमानतदार / बन्धककर्ता –** (I) सरस्वती देवी, पता– ग्राम भीटी तिवारी, पोस्ट– थवईपार, गोरखपुर। (II) श्री राम कृपाल, पता– ग्राम – भीटी तिवारी, पोस्ट– थवईपार, गोरखपुर, (III) श्री राम निवास, पता– ग्राम– मुजरी, पोस्ट– पनियरा, महराजगंज।

ई–विक्रय के माध्यम से विक्रय हेतु सम्पत्ति का विशिष्ट विवरण निम्न हैं:–

बन्धक सम्पत्ति का विस्तृत विवरण: 1. सम्पत्ति के सभी भाग व खण्ड सम्पत्ति **राम कृपाल, राम निवास एवं सुभाष** के नाम। स्थित आराजी नं. पुराना 436 मि एवं नया आराजी नं. 541, क्षेत्रफल– 13 डिसमिल स्थित मौजा – भीटी, तप्पा– पचवारा, परगना – हवेली, तहसील– सदर, जिला– गोरखपुर। पंजीकृत उप रजिस्ट्रार प्रथम गोरखपुर, सेलडीड नं. 15604 स्थित बही नं. 1, खण्ड नं. 239, पेज नं. 249 से 261 दिनांक 22.06.1990, **चौहद्दी– उत्तर–** खड़ंजा रोड उसके बाद अन्य का प्लाट, **दक्षिण–** श्री रविन्द का प्लाट, **पूरब–** पिच रोड, **पश्चिम–** कुन्ती देवी का प्लाट।
2. सम्पत्ति के सभी भाग व खण्ड सम्पत्ति **श्रीमती सरस्वती** के नाम। स्थित आराजी नं. 449 एवं 450, क्षेत्रफल– 102 एयर स्थित मौजा – भीटी, तप्पा– पचवारा, परगना – कैम्पियरगंज, तहसील– गोरखपुर, जिला– गोरखपुर। **चौहद्दी– उत्तर–** कुन्ती की भूमि, **दक्षिण–** चक रोड, **पूरब–** बदी की भूमि, **पश्चिम–** विन्ध्यवासिनी तिवारी की भूमि।

डिमाण्ड नोटिस दिनांक	डिमाण्ड धनराशि	कब्जे की तिथि	पूर्व अवभार	ई–नीलामी का दिनांक व समय
23.08.2023	रु. 18,76,376/–	07.12.2023	बैंक की जानकारी के अनुसार, कोई नहीं	12.06.2024, प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक
आरक्षित मूल्य	**ई.एम.डी.**	**बोली बढ़ाने की धनराशि**	**सम्पत्ति की आई.डी.**	
(I) रु. 30,45,000/–	रु. 3,10,000/–	रु. 10,000/–	IDIBGKPBHAT3093A	
(II) रु. 72,78,000/–	रु. 7,30,000/–	रु. 10,000/–	IDIBGKPBHAT3093B	

शाखा : गोरखपुर

क्रम सं.3. ऋणी / जमानतदार / बन्धककर्ता का विवरण:
ऋणी – नायाब खान पुत्र श्री इदू खान, पता– अजय नगर, रसूलपुर, गोरखनाथ, गोरखपुर उ.प्र. – 273015, **ऋणी –** शमा परवीन पत्नी श्री नायाब खान, पता– अजय नगर, रसूलपुर, गोरखनाथ, गोरखपुर उ.प्र. – 273015

ई–विक्रय के माध्यम से विक्रय हेतु सम्पत्ति का विशिष्ट विवरण निम्न हैं:–

बन्धक सम्पत्ति का विस्तृत विवरण: सम्पत्ति के सभी भाग व खण्ड– **सम्पत्ति श्री नायाब खान पुत्र इदू खान के नाम**, क्षेत्रफल– 46.46 वर्गमीटर (500 वर्गफीट) स्थित आराजी नं. 158/1, मौजा– रसूलपुर, तप्पा– कस्बा, परगना– हवेली, तहसील– सदर, जिला एवं शहर – गोरखपुर, पंजीकृत उप–रजिस्ट्रार प्रथम गोरखपुर उ.प्र.। सेल डीड सं. 6321, बही सं. 1, जिल्द सं. 12377, पृष्ठ सं. 287 से 346 दिनांक 26.07.2016, **चौहद्दी – उत्तर –** श्री सनाउल्ला का मकान, **दक्षिण–** श्री कौशला का मकान, **पूरब–** 10 फीट चौड़ा रोड, **पश्चिम–** श्री सरोज का मकान।

डिमाण्ड नोटिस दिनांक	डिमाण्ड धनराशि	कब्जे की तिथि	पूर्व अवभार	ई–नीलामी का दिनांक व समय
18.08.2021	रु. 18,51,837/–	25.03.2022	बैंक की जानकारी के अनुसार, कोई नहीं	22.05.2024, प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक
आरक्षित मूल्य	**ई.एम.डी.**	**बोली बढ़ाने की धनराशि**	**सम्पत्ति की आई.डी.**	
रु. 15,30,000/–	रु. 1,60,000/–	रु. 10,000/–	IDIBGKPIBGK5620	

शाखा : गोरखपुर

क्रम सं.4. ऋणी / जमानतदार / बन्धककर्ता का विवरण:
ऋणी – मेसर्स फरहीन रेडीमेड उद्योग, प्रोप.– फरहीन, पता– 473, अजय नगर, निकट कामरेड हाउस, रसूलपुर, गोरखपुर उ.प्र. – 273015, **ऋणी –** फरहीन पुत्री श्री रफीकजमा, पता– 473, अजय नगर, निकट कामरेड हाउस, रसूलपुर, गोरखपुर उ.प्र. – 273015, **जमानतदार–** श्री रफीकजमा पुत्र मोहम्मद कलीम, पता– 473, अजय नगर, निकट कामरेड हाउस, रसूलपुर, गोरखपुर उ.प्र. – 273015, **जमानतदार–** श्रीमती कनीज फातिमा पत्नी श्री रफीकजमा, पता– 473, अजय नगर, निकट कामरेड हाउस, रसूलपुर, गोरखपुर उ.प्र. – 273015

ई–विक्रय के माध्यम से विक्रय हेतु सम्पत्ति का विशिष्ट विवरण निम्न हैं:–

बन्धक सम्पत्ति का विस्तृत विवरण: सम्पत्ति के सभी भाग व खण्ड– दो मंजिला आवासीय भवन **सम्पत्ति श्रीमती कनीज फातिमा पत्नी श्री रफीकजमा के नाम**, क्षेत्रफल– 37.17 वर्गमीटर (400 वर्गफीट) स्थित मकान नं. 473 सी, मोहल्ला– रसूलपुर, तप्पा– कस्बा, परगना– हवेली, तहसील– सदर, जिला – गोरखपुर, पंजीकृत उप–रजिस्ट्रार प्रथम गोरखपुर उ.प्र.। सेल डीड सं. 9023, बही सं. 1, जिल्द सं. 8690, पृष्ठ सं. 115 से 136 दिनांक 12.12.2011, **चौहद्दी – उत्तर –** वकील अहमद खान का मकान, **दक्षिण–** फिरदौस का मकान, **पूरब–** सुभाष का मकान, **पश्चिम–** रास्ता 15 फीट चौड़ा।

डिमाण्ड नोटिस दिनांक	डिमाण्ड धनराशि	कब्जे की तिथि	पूर्व अवभार	ई–नीलामी का दिनांक व समय
18.08.2021	रु. 30,39,206/–	25.03.2022	बैंक की जानकारी के अनुसार, कोई नहीं	22.05.2024, प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक
आरक्षित मूल्य	**ई.एम.डी.**	**बोली बढ़ाने की धनराशि**	**सम्पत्ति की आई.डी.**	
रु. 12,85,000/–	रु. 1,30,000/–	रु. 10,000/–	IDIBGKPIBGK3365	

शाखा : महराजगंज

क्रम सं.5. ऋणी / जमानतदार / बन्धककर्ता का विवरण:
ऋणी – मेसर्स वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी, प्रोप.– श्री जनार्दन वर्मा पुत्र स्वामी नाथ, पता– चौक बाजार, तप्पा– तिलपुर, महराजगंज – 273303, **ऋणी/बन्धककर्ता–** श्री जनार्दन वर्मा पुत्र स्वामी नाथ, (प्रोप.– मेसर्स वर्मा ट्रेडिंग कम्पनी), पता– चौक बाजार, तप्पा– तिलपुर, महराजगंज – 273303, **जमानतदार–** श्री रमाकान्त पुत्र चिखुरी, पता– चौक बाजार, तप्पा– तिलपुर, महराजगंज – 273303

ई–विक्रय के माध्यम से विक्रय हेतु सम्पत्ति का विशिष्ट विवरण निम्न हैं:–

बन्धक सम्पत्ति का विस्तृत विवरण: सम्पत्ति के सभी भाग व खण्ड– **सम्पत्ति श्री जनार्दन वर्मा पुत्र स्वामी नाथ के नाम**, प्लाट नं. 1116, क्षेत्रफल– 0.108 हेक्टेयर स्थित चौक बाजार, तप्पा– सोनादी, परगना– तिलपुर, तहसील– सदर, जिला महराजगंज। सेल डीड सं. 8800 स्थित बही सं. 1, खण्ड नं. 8080, पृष्ठ सं. 197 से 224 दिनांक 14.12.2017, **चौहद्दी – उत्तर –** ब्रह्मानंद का पलाट, **दक्षिण–** ब्रह्मानंद का प्लाट, **पूरब–** ब्रह्मानंद का प्लाट, **पश्चिम–** पीडब्लूडी रोड।

डिमाण्ड नोटिस दिनांक	डिमाण्ड धनराशि	कब्जे की तिथि	पूर्व अवभार	ई–नीलामी का दिनांक व समय
12.05.2023	रु. 12,90,926/–	24.08.2023	बैंक की जानकारी के अनुसार, कोई नहीं	22.05.2024, प्रातः 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक
आरक्षित मूल्य	**ई.एम.डी.**	**बोली बढ़ाने की धनराशि**	**सम्पत्ति की आई.डी.**	
रु. 62,50,000/–	रु. 6,30,000/–	रु. 10,000/–	IDIBGKPMAH0384	

निविदाकर्ता को यह सलाह दी जाती है कि वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर विजिट कर हमारे ई–नीलामी सर्विस प्रोवाइडर एमएसटीसी लिमिटेड पर जाकर ऑनलाइन बिड प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तकनीकी सहायता के लिए कृपया एमएसटीसी हेल्पलाइन नं. 033-23400020/23400021/23400022 एवं अन्य हेल्पलाइन नम्बर भी सर्विस प्रोवाइडर डेस्क पर उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन की स्थिति को जानने के लिए एमएसटीसी लिमिटेड पर ibapiop@mstcecommerce.com पर सम्पर्क करें। सम्पत्ति की अन्य जानकारी एवं फोटो के लिए व ई–नीलामी की शर्तों के लिए विजिट करें https://ibapi.in एवं अन्य किसी स्पष्टीकरण के लिए उपरोक्त पोर्टल पर सम्पर्क करें एवं अन्य सहायता के लिए नं. 18001025026 एवं 011–41106131 पर सम्पर्क करें। बोलीकर्ता को सलाह दी जाती है कि उक्त सम्पत्ति आई.डी. का प्रयोग कर सम्पत्ति का विवरण https://ibapi.in एवं www.mstcecommerce.com पर विजिट कर प्राप्त किया जा सकता है।

दिनांक: 06.05.2024 | स्थान: गोरखपुर | प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन बैंक

हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड (HINDUJA HOUSING FINANCE)
कॉर्पोरेट कार्यालयः नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015
1ST 124/O/64, पॉपुलर धर्म कॉटा के पास, गोविंद नगर, कानपुर-208006

आरएलएम– श्री अरुण कुमार सिंह 9506011777, सीएलएम–सोनम मिश्रा 9368111464 आरआरएम – श्री पंकज सिंह चौधरी 7081828333 सीआरएम – मितेश मिश्रा 9555269296

सांकेतिक कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का नं. 3) के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित कर्जदारों (तदोपरान्त कर्जदार एवं गारंटरों को संयुक्त रूप से "कर्जदार" कहा गया है) को निम्नांकित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था। कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित के अनुसार लिया है।
विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड** के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और उपरोक्तानुसार राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्च, लागत, प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा।
उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार / गारन्टर के नाम एवं पता	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तिथि	बकाया राशि	अचल सम्पत्तियों का विवरण
1	आवेदन नं. UP/KNP/KANP/A000000389 **श्री हीरा लाल कुशवाह पुत्र राम अवतार कुशवाह एवं श्री दीपक कुशवाह पुत्र एमआर. हीरा लाल कुशवाह, सभी:** 119/99, आर.के. नगर कानपुर, शहरी, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत – 208012	13.07.2023 / 29.04.2024 सांकेतिक	₹ 19,23,896/- दिनांक 11-07-2023 तक + ब्याज इत्यादि	पताः मौजा मकान नं. 215, ईडब्ल्यूएस, ब्लॉक नं. एस/एस/स्कीम नं. गुंजन विहार, जोकि मोहल्ला गुंजन विहार, कानपुर नगर पंजी विवरण– पुस्तक–I, खंड संख्या–6441 में पृष्ठ 1 से 18 तक दिनांक 29/06/2005 को क्रमांक–7510, उप रजिस्ट्रार और जिला–उप रजिस्ट्रार क्षेत्र –III, जिला कानपुर में पंजीकृत, क्षेत्रफल 36.75 वर्ग मी., चौहद्दीः पूरब में – मकान नं. ई–188, पश्चिम में – 7.50 मीट. चौड़ी सड़क, उत्तर में – मकान नं. ई–214, दक्षिण में – मकान नं. ई–216

दिनांक : 05-05-2024, स्थान : कानपुर | प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

KVB Karur Vysya Bank Smart way to bank
आस्ति वसूली शाखा, सं. 6, तीसरी मंजिल, सामने मेट्रो पिलर सं. 80, पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110 005
मोबाइल : 7823919520 दूरभाष–011–35008283, ई–मेल : arbdelhi@kvbmail.com

ई–नीलामी सूचना ई–नीलामी की तिथि : 28.05.2024

सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं नियम 9 के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना।
एतद्द्वारा जनसामान्य को एव विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि करूर वैश्य बैंक लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, की बिक्री **''जहाँ है जैसे है''**, **''जो है जैसे है''**, **''उपचार रहित''** तथा **''जो भी है वहीं है''** के आधार पर निम्नलिखित विवरणों के अनुसार की जायेगी :

क्र. सं.	कर्जदार का नाम	ऋणदाता शाखा	सम्पत्ति की स्थिति	सम्पत्ति की प्रकृति	आरक्षित मूल्य (रु. में)	ईएमडी राशि (रु. में)	सम्पर्क व्यक्ति/ दूरभाष नं./ई–मेल
1	मैसर्स जय शिव शक्ति ड्वेलिंग्स प्रा. लिमिटेड	लखनऊ शाखा	फ्लैट नंबरः 1004, 10वीं मंजिल, चेल्सी टॉवर, ओमेक्स हाइट्स, प्लॉट नंबरः टीसी/जी–2/2 और टीसी/जी–5/5, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ–226010	आवासीय फ्लैट	86,79,000	8,70,000	श्री हिमांशु रंजन, 7765046680 himanshuranjan@kvbmail.com
2	मैसर्स अरविन्द कुमार पाठक	लखनऊ शाखा	नगर निगम का पता मकान संख्या–632/112, कामता, कमला नेहरू नगर, लखनऊ–226016, माप 1425.00 वर्ग फुट	आवासीय मकान	61,00,000	6,10,000	श्री हिमांशु रंजन, 7765046680 himanshuranjan@kvbmail.com
3	मैसर्स राय कंस्ट्रक्शन	लखनऊ शाखा	फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट नं. बी–146, मयूर विहार योजना, खड़गपुर, फरीदी नगर, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–माप 277.88 वर्ग मीटर	आवासीय प्लॉट	89.70,000.00	8,97,000.00	श्री हिमांशु रंजन, 7765046680 himanshuranjan@kvbmail.com
4	मैसर्स जय एसोसिएट्स	लखनऊ शाखा	सम्पत्ति सं. 13/28के, कबीर मार्ग, क्ले स्क्वैयर, हुसैनगंज, लखनऊ 220001, लगभग माप 672 वर्ग फीट	आवासीय	56,75,000	5,70,000	श्री हिमांशु रंजन, 7765046680 himanshuranjan@kvbmail.com

कर्जदारों का विवरणः क्रम सं. 1: लखनऊ शाखा, कर्जदार का नाम– मेसर्स जय शिव शक्ति डवेलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय डी–2/75, विराट खंड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010 है और गारंटर (1) श्री मनीष कुमार सिंह, पुत्र श्री रमेश कुमार सिंह, फ्लैट नंबरः 1004, चेल्सी टॉवर, ओमेक्स हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010 (2) श्री सुशील कुमार सिंह, पुत्र श्री रमेश कुमार सिंह, निवासी, डी–2/75, विराट खंड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010। कुल देयः 31.10.2023 तक रु. 47,81,537.41 (रुपये सैतालीस लाख इक्यासी हजार पांच सौ सैंतीस और केवल इकतालीस पैसा) अतिरिक्त ब्याज, लागत, अन्य शुल्क और उस पर खर्च के साथ।
क्र.सं. संख्या 2: लखनऊ शाखा कर्जदार का नाम – मेसर्स अरविंद कुमार पाठक, पंजीकृत कार्यालय, बी–35, हरिहर नगर, पानी गाओ के पास, लखनऊ–226016, उत्तर प्रदेश।
कुल बकायाः 31.10.2023 तक रु. 47,31,152.12 (रुपये सैंतालीस लाख इकतीस हजार एक सौ बावन और केवल बारह पैसे) अतिरिक्त ब्याज, लागत, अन्य शुल्क और उस पर खर्च।
क्र.सं. संख्या 3: लखनऊ शाखा कर्जदार का नाम – मेसर्स राय कंस्ट्रक्शन, प्रोपराइटरः श्री नरेंद्र राय, 11 ए, मॉल एवेन्यू, हजरतगंज, लखनऊ–226001।
कुल बकायाः 29.02.2024 तक रु. 99,19,059.26 (रुपये निन्यानबे लाख उन्नीस हजार उनसठ और केवल छब्बीस पैसे) अतिरिक्त ब्याज, लागत, अन्य शुल्क और उस पर खर्च।
क्र.सं. संख्या 4: लखनऊ शाखा कर्जदार का नाम – (1) मेसर्स जय एसोसिएट्स प्रोपराइटरः श्री अंशुमान पांडे, 13/28 के, कबीर मार्ग, क्ले स्क्वायर, लखनऊ 226001, (2) श्री अतुल पांडे, पुत्र श्री जय प्रकाश नारायण पांडे, 13/28के, कबीर मार्ग, क्ले स्क्वायर, लखनऊ–226001, (3)श्रीमती कुसुम लता पांडे पत्नी स्वर्गीय जय प्रकाश नारायण पांडे, 13/28के, कबीर मार्ग, क्ले स्क्वायर, लखनऊ–226001, (4) श्री स्वर्गीय जय प्रकाश नारायण पांडे पुत्र श्री मनोहर लाल पांडे, (चूंकि मृतक आपके कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते संख्या 2 और 3 द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है)। 31.01.2024 तक कुल बकाया रु. 46,00,453.71 (रुपये छियालीस लाख चार सौ तिरपन और केवल इकहत्तर पैसा) अतिरिक्त ब्याज, लागत, अन्य शुल्क और उस पर खर्च।
बंधक संपत्तिः क्रम नंबर 1ः संपूर्ण आवासीय फ्लैट नंबरः 1004, 10वीं मंजिल, चेल्सी टॉवर, ओमेक्स हाइट्स, प्लॉट नंबरः टीसी/जी–2/2 और टीसी/जी–5/5, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010 और सीमाएंः उत्तरः आकाश तक खुला दक्षिणः आकाश तक खुला पूर्वः गलियारा पश्चिमः आकाश तक खुला
आरक्षित मूल्य–रु. 86,79,000.00 ईएमडी–रु.8,70,000.00
क्रम सं. 2: प्लॉट संख्या 112 पर खसरा संख्या–256, ग्राम कामता, लखनऊ–227105 (नगरपालिका पता एच संख्या–632/112, कामता, कमला नेहरू नगर, लखनऊ–226016, माप 1425.00 वर्ग फुट) आवासीय मकान श्रीमती मालती पाठक पत्नी श्री धर्मात्मा पाठक के नाम पर और इसकी सीमा इस प्रकार हैः पूर्वः 20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिमः खसरा नंबर 256 पर प्लॉट नंबर –101, उत्तरः 20 फीट चौड़ी सड़क
दक्षिणः खसरा नंबर 256 पर प्लॉट नंबर–113 पर मकान
आरक्षित मूल्य–रु.61,00,000.00 ईएमडी– रु.6,10,000.00
क्र.सं. 3 : फ्रीहोल्ड आवासीय भूखंड क्रमांक. बी–146, मयूर विहार योजना, खड़गपुर फरीदी नगर, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 277.88 वर्ग मीटर माप, श्रीमती मीन राय के नाम पर और निम्नानुसार घिरा हुआः पूर्वः 25 फीट चौड़ी सड़क पश्चिमः प्लॉट नं. 145 उत्तरः प्लॉट नं. 147 दक्षिण :25 फीट चौड़ी सड़क
आरक्षित मूल्य–रु. 89,70,000.00 ईएमडी– रु. 8,97,000.00
क्र.सं. संख्या 4: संपत्ति संख्याः 13/28 के, कबीर मार्ग, क्ले स्क्वायर, हुसैनगंज, लखनऊ–220001 लगभग 672 वर्ग फुट, सीमाएं : उत्तरः गली दक्षिणः श्री आशीष का घर पूर्वः सड़क पश्चिमः श्री पीएन चतुर्वेदी का घर
आरक्षित मूल्य : रु. 56,75,000.00 **ईएमडी** : रु. 5,70,000.00

आस्ति का निरीक्षण	**सभी कार्य दिवस : 06.05.2024 से 24.05.2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 5.00 बजे अप. के बीच**
ऑनलाइन निविदा आवेदन प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तथा समय	**तिथि : 27.05.2024 समय : 5 बजे अप.**
ई–नीलामी की तिथि एवं समय	ई–नीलामी पोर्टल के माध्यम से 28.05.2024 **को 11.00 बजे पूर्वा. से 11.30 बजे दोपहर के बीच बिक्री की समाप्ति तक प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित सम्पन्न होगी।**
नोडल बैंक खाता नाम	**द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय उपर्युक्त खातों के पक्ष में खाता सं.** 1101351000000973, **आईएफएससी कोड : KVBL0001101.**
सम्पर्क व्यक्ति तथा फोन नं.	जैसा ऊपर उल्लिखित है

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया बैंक/प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट www.kvb.co.in/Property पर Auction के तहत तथा साथ ही हमारे ई–नीलामी सेवा प्रदाता मैसर्स 4क्लोजर के वेब पोर्टल https://BankAuctions.in पर प्रावधानित लिंक देखें।
पूर्व ऋणभार : निल (बैंक संज्ञान में लाया गया)

सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) तथा 9(1) के तहत सांविधिक 15 दिवसीय सूचना

कर्जदार/रों तथा जमानती/यों से एतद्द्वारा ई–नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं अनुषंगी व्ययों सहित उपर्युक्त बकायों को अदा करने के लिए अधिसूचित किया जाता है जिसमें असफल रहने पर अनुसूचित सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री कर दी जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज एवं लागत सहित वसूल किया जायेगा।

हस्ता./– कृते द करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
स्थान : दिल्ली तिथि : 06.05.2024 | मुख्य प्रबन्धक तथा अधिकृत प्राधिकारी

धोखाधड़ी के आरोप में आठ भवन निर्माताओं पर मुकदमा

वाराणसी, 5 मई (जनसत्ता)।

शहर के आठ बिल्डर्स पर दशाश्वमेध थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज रविवार को किया गया है। बिल्डर्स पर भवन स्वामी को विश्वास में लिए बगैर गलत तरीके से फ्लैट की बिक्री का आरोप है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

काजीपुरा कलां, देहलू गली, कोदई चौकी निवासी जफर इकबाल की तहरीर पर बिल्डर्स मेसर्स जायमा डेवलपर्स के तीन पार्टनर सहित आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जफर इकबाल ने पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वे छोटे भाई नदीम इकबाल के साथ रहते हैं। दोनों भाइयों ने अपने मकान का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट औरंगाबाद के मसूद अख्तर, शेख सलीम फाटक के हारिस रजबी और माताकुंड के नैय्यर इस्लाम से किया था। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में 30 महीने का समय तय किया गया इस अवधि में पूरी बिल्डिंग का निर्माण वीडीए के मानक के अनुसार करना था। दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से तय किया था कि 40 फ्लैट बनेंगे, इसमें से 24 बिल्डर और 16 मकान मालिक को मिलेंगे। जफर इकबाल ने बताया कि समय बीतने के साथ ही तीनों बिल्डर की नीयत खराब हो गई। तीनों ने गया के सादिक खान वारिस के साथ साजिश करके बिल्डिंग के प्रथम तल का फ्लैट रजा कालोनी, मकबूल आलम रोड निवासी नदीम अहमद को बैनामा कर दिया। तीन अन्य फ्लैट लल्लापुरा के आसिफ व अलीम चौधरी को बैनामा कर दिया। इसी तरह से पटेल नगर, की रजिया नसरीन को भी एक फ्लैट रजिस्टर्ड सट्टा कर दिया।

सहारनपुर में बढ़ी गेहूं की पैदावार, डीएम ने दी बधाई

सहारनपुर, 5 मई (जनसत्ता)।

जिलाधिकारी दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में कृषि कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि धान का अधिक से अधिक फसल बीमा योजना करवाने के दृष्टिगत अन्नदाता को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने बताया कि क्राप कटिंग में मंडल एवं जनपद प्रदेश में सर्वोच्च शिखर पर है।

जिलाधिकारी ने गेहूं की उत्पादकता बढने पर अन्नदाता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जनपद में कृषकों को दी गई सुविधाओं के दृष्टिगत यह कार्य हुआ और यह आगे भी जारी रहना चाहिए। सभी अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि खेती के लिए उपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर नेपियर घास का रोपण अवश्य कराएं।

'पशुओं के चारे और पानी में नमक मिलाएं'

सहारनपुर, 5 मई (जनसत्ता)।

सरदार बल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय एवं पशुपालन विभाग द्वारा इफको के सौजन्य से वित्तपोषित परियोजना के माध्यम से ग्राम रूपडी गुर्जर में पशु आरोग्य मेले का आयोजन कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति केके सिंह की अगुवाई में किया गया।

मेडिसन विभाग के विभागाध्यक्ष अमित वर्मा ने कहा कि पशुओं में शारीरिक लवणों की हानि से बचने के लिए किसान 50 ग्राम नमक का मिश्रण चारे और पानी में मिलाकर अवश्य दे और डेयरी पशुओं को संतुलित आहार दें ताकि उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता बढे। शिविर में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एमपी सिंह गौर आदि उपस्थित रहे।

धारदार हथियार से महिला की हत्या, प्रेमी पर मुकदमा

बरेली, 5 मई (जनसत्ता)।

थाना बिथरीचैनपुर क्षेत्र में छह साल से सहजीवन में रह रही एक महिला की हत्या कर प्रेमी फरार हो गया। क्षेत्राधिकारी राजमार्ग नितिन कुमार ने बताया कि पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतका की मां की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है।

रामगंगा नगर कालोनी में एक किराए के मकान में जोगेंद्र और पिंकी सागर सहजीवन में रह रहे थे। पिंकी की एक सहेली बबली के बार–बार फोन मिलाने पर कोई जवाब नहीं मिला तो वह उसे देखने के लिए शनिवार की शाम को आई थी। घर के बाहरी दरवाजे पर कुंडी लगी थी। इसे खोलकर अंदर देखा तो पिंकी का लहुलुहान शव बिस्तर पर था।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रथम दृष्टया मृतका की धारदार हथियार से हत्या की गई थी। मृतका की मां सावित्री ने पुलिस को बताया कि पिंकी का उसके पति मदनलाल से लगभग आठ वर्ष पूर्व विवाद होने पर अलगाव हो गया था। छह साल से वह जोगेंद्र के साथ सहजीवन में थी। कुछ समय से दोनों में कलह रहने लगी थी, जिसकी वजह से प्रेमी जोगेंद्र ने बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद से आरोपी फरार है जिसकी तलाश में दबिशें डाली जा रही हैं।